राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्सः 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / STARS Project / दिशा–निर्देश / 2022–23 / 7647 दिनांक 25/11/2022

दिशा–निर्देश
(सत्र 2022–23)
एसएमसी / एसडीएमसी का क्षमता अभिवृद्धन एवं सुदृढ़ीकरण

प्रस्तावना–

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–21 के प्रावधान अनुसार 2011 में राज्य में एसएमसी (विद्यालय प्रबन्ध समिति) का गठन एवं वर्ष 1999 में समस्त राजकीय माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो में एसडीएमसी (विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति) का गठन में किया गया। वर्तमान में एसएमसी व एसडीएमसी में क्रमशः 16 एवं 23 सदस्य होते है। विद्यालय प्रबंधन एवं विकास में सदस्यों की सक्रिय भूमिका के निर्वहन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एसएमसी / एसडीएमसी के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी क्षमता विकास करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्टार प्रोजेक्ट के तहत एसएमसी / एसडीएमसी के प्रभावी ढंग से सुदृढ़ीकरण हेतु गतिविधियॉ एवं वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है–

क्रं. सं	गतिविधि का नाम	प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान (रूपये में)	कुल माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	कुल वित्तीय प्रावधान (रू लाख में)
1	एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन	8000	15697	1255.76
2	विद्यालय विकास योजना के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना एवं विकास कार्यो की समीक्षा	5000	15697	784.85
3	ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर एक्सपोजर विजिट	4000	15697	627.88
4	श्रेष्ठ एसएमसी / एसडीएमसी के पुरूस्कार समारोह का आयोजन	3000	15697	470.91
	कुल योग	**20000**	**15697**	**3139.4**

1. <u>एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन–</u>

प्रदेश के 3825 माध्यमिक एवं 11872 उच्च माध्यमिक विद्यालयों अर्थात कुल 15697 राजकीय विद्यालयों में एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। विद्यालयों की एसएमसी/एसडीएमसी के समस्त सदस्यों का सुदृढीकरण का कार्य विद्यालय स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से किया जायेगा। उक्त एक दिवसीय कार्यशाला में समस्त सदस्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु दो से तीन दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सदस्यों की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में दृष्टान्त सहित व्यवहारिक पक्ष रखा जायेगा जिससे विद्यालय के प्रबन्धन एवं विकास कार्यो में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं जुड़ाव बढ़ाया जा सकें। इस गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय 8000/– रू वित्तीय प्रावधान है।

A. राज्य स्तरीय पर मॉड्यूल निर्माण एवं मुद्रण कार्य हेतु प्रति विद्यालय 30 रू का वित्तीय प्रावधान है।
B. प्रशिक्षित केआरपी जिला/ब्लॉक स्तर पर आरपी को प्रशिक्षित करेंगे एवं आरपी प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर प्रति विद्यालय 80 रू का वित्तीय प्रावधान किया जाता है।
C. विद्यालय स्तर स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला हेतु प्रति विद्यालय 7890 रू का वित्तीय प्रावधान है जिस हेतु प्रति विद्यालय व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	**गतिविधि**	**राशि रू में**
1	आरपी का मानदेय	600 (प्रति आरपी 300 रू)
2	चाय–नाश्ता	1000
3	भोजन	4500
4	स्टेशनरी	900
5	अन्य विविध व्यय	890
कुल		**7890**

समयावधि–

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण के आयोजन के पश्चात् 15 दिवस में जिला/ब्लॉक स्तर पर आरपी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है तथा आरपी प्रशिक्षण पूर्ण होने के 30 दिवस में विद्यालय स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

2. विद्यालय विकास योजना के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना एवं विद्यालय के द्वारा किये गये विकास कार्यो की समीक्षा–

प्रदेश के 3825 माध्यमिक विद्यालय एवं 11872 उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 15697 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना (School Development Plan) के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर विकास के कार्यो की सतत् समीक्षा की जायेगी। इस हेतु इस गतिविधि को निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण किया जाना है:–

A. विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा तैयार करना–

- एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की बैठक आयोजित कर आगामी वर्ष की विद्यालय की आवश्यकताओं को सदस्यों के साथ साझा कर विस्तृत चर्चा/विमर्श कर उनके सुझाव आमंत्रित कर उन्हे लिपिबद्ध किया जायेगा।
- एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर पुनः चर्चा/विमर्श कर सर्वसहमति से प्राथमिकता के अनुसार विद्यालय विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जायेगी।
- रूपरेखा अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए समयबद्ध वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाये।
- दिशा–निर्देश प्राप्त होने के 30 दिवस में प्रत्येक विद्यालय द्वारा विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा एवं समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण कर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित किया जाना है।

B. विद्यालय के द्वारा किये गये विकास कार्यो की समीक्षा –

- विद्यालय विकास योजना की तैयार रूपरेखा एवं समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कार्यो की प्रगति की मासिक समीक्षा की जायेगी।
- आगामी बैठक मे गत बैठक के विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए शेष रहे कार्यो को गति प्रदान करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- समयबद्ध कार्ययोजना के अनुरूप कार्य पूरा न होने अथवा कम लक्ष्य प्राप्ति के कारणो को स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया जायेगा।
- मासिक समयबद्ध कार्ययोजना को विद्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा किया जाये।
- ब्लॉक/जिला अधिकारियों को समीक्षा बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

उक्त गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय 5000/– रू की दर से वित्तीय प्रावधान है। जिसका उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने में तथा विद्यालय विकास कार्यो की समीक्षा हेतु किया जाना है।

3. ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर एक्सपोजर विजिट–

प्रदेश के 3825 माध्यमिक विद्यालय एवं 11872 उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल 15697 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों में से सक्रिय सदस्यों का चयन कर उन एसएमसी/एसडीएमसी के श्रेष्ठ सक्रिय सदस्यों का ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर एक्सपोजर विजिट करवायी जायेगी। एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य सदस्यों को अन्य स्थानों पर श्रेष्ठ एसएमसी/एसडीएमसी की कार्यशैली एवं अन्य विद्यालयों में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यो से अवगत कराना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना है।

A. ब्लॉक स्तरीय एक्सपोजर विजिट–

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उनके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित एसएमसी एवं एसडीएमसी में से सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी का चयन किया जाना है। चयनित एसएमसी एवं एसडीएमसी के सभी सदस्यों को अन्य ब्लॉक की श्रेष्ठ एसएमसी/एसडीएमसी की एक्सपोजर

विजिट करवाई जानी है। इस एक्सपोजर विजिट में सामुदायिक गतिशीलता से सम्बन्धित एसीबीईओ/आरपी को शामिल किया जायेगा। गतिविधि समाप्ति उपरान्त इस गतिविधि का प्रतिवेदन **(कलर ग्लेज्ड पेपर बुकलेट)** तैयार किया जाना है। प्रतिवेदन में गतिविधि का दिनांकवार ब्यौरा मय फोटाग्राफ तैयार किया जायेगा। प्रतिवेदन कॉपी ब्लॉक एवं जिला कार्यालय पर भिजवाई जानी है। ब्लॉक स्तरीय एक्सपोजर विजिट हेतु प्रति ब्लॉक 1.5 लाख रू का वित्तीय प्रावधान है।

B. जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट –

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा **जिले में स्थित** माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित एसएमसी एवं एसडीएमसी में से **सर्वश्रेष्ठ दो एसएमसी एवं दो एसडीएमसी** का चयन किया जाना है। चयनित एसएमसी एवं एसडीएमसी के सभी सदस्यों को अन्य जिले की श्रेष्ठ एसएमसी/एसडीएमसी की एक्सपोजर विजिट करवाई जानी है। इस एक्सपोजर विजिट में सामुदायिक गतिशीलता से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी/सहायक परियोजना समन्वयक को शामिल किया जायेगा।

गतिविधि समाप्ति उपरान्त इस गतिविधि का प्रतिवेदन लिा एवं राज्य कार्यालय पर (कलर ग्लेज्ड पेपर बुकलेट) तैयार किया जाना है। प्रतिवेदन में गतिविधि का दिनांकवार ब्यौरा मय फोटाग्राफ तैयार किया जायेगा। प्रतिवेदन बुकलेट की दो कॉपी राज्य कार्यालय पर भिजवाई जानी है। जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट हेतु प्रति जिला 4.0 लाख रू का वित्तीय प्रावधान है।

C. राज्य स्तरीय एक्सपोजर विजिट–

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ एक एसएमसी एवं एसडीएमसी का चयन किया जाना है। चयनित एसएमसी एवं एसडीएमसी के दो–दो सक्रिय सदस्यो को **अन्य राज्य की श्रेष्ठ एसएमसी/एसडीएमसी** की एक्सपोजर विजिट करवाई जानी है।

इस गतिविधि का प्रतिवेदन (कलर ग्लेज्ड पेपर बुकलेट) तैयार किया जाना है। प्रतिवेदन में गतिविधि का दिनांकवार ब्यौरा मय फोटाग्राफ तैयार किया जायेगा। प्रतिवेदन बुकलेट की कॉपी जिला समन्वयक कार्यालय, राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवाई जानी है।

राज्य स्तरीय एक्सपोजर विजिट प्रति जिला 1.345/– लाख रू अर्थात कुल 44.38/– लाख रू का वित्तीय प्रावधान है। बजट का आवंटन सम्बन्धित प्रभारी जिले को किया जायेगा।

राज्य स्तरीय एक्सपोजर विजिट हेतु 5 जिलों (जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर) को निम्नलिखित अनुसार प्रभारी बनाया जाता है। प्रभारी जिला सम्बन्धित जिलों से समन्वय स्थापित कर अपने समीपस्थ राज्य की एक्सपोजर विजिट करेंगे। प्रभारी जिले से PO/APC को एक्सपोजर विजिट में शामिल किया जाना है।

जयुपर	कोटा	भरतपुर	बीकानेर	उदयपुर
दौसा	बून्दी	अलवर	जैसलमेर	डूंगरपूर
अजमेर	बारां	करौली	बाड़मेर	बांसवाड़ा
नागौर	झालावाड़	सवाईमाधोपुर	जोधपुर	राजसमन्द
सीकर	चित्तौड़गढ़	धौलपुर	हनुमानगढ़	जालौर
झुन्झुनू	टोंक	चूरू	गंगानगर	सिरोही
	भीलवाड़ा		प्रतापगढ़	पाली

4. श्रेष्ठ एसएमसी एवं एसडीएमसी को पुरस्कार समारोह का आयोजन–

प्रदेश के 3825 माध्यमिक विद्यालय एवं 11872 उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल 15697 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एसएमसी/एसडीएमसी के सुदृढ़ीकरण हेतु ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ एवं सक्रिय एसएमसी/एसडीएमसी का चयन कर एक निर्धारित राशि के रूप में पुरस्कृत किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक, जिले पर सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ एक एसएमसी एवं एक एसडीएमसी का चयन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। चयनित एसएमसी एवं एसडीएमसी को क्रमशः ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय राष्ट्रीय पर्व समारोह में एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जायेगा। ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित एसएमसी एवं एसडीएमसी के अध्यक्ष, सचिव तथा दो सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

ब्लॉक स्तरीय पर पुरस्कार समारोह हेतु प्रति ब्लॉक राशि 86,000 रू जिसमें से 66,000 रू की राशि का व्यय सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी के पुरस्कार राशि हेतु तथा 20,000 रू का व्यय शील्ड, प्रमाणपत्र, भोजन, नाश्ता, टेन्ट, यात्रा एवं दैनिक भत्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु किया जाना है।

जिला स्तरीय पर पुरस्कार समारोह हेतु प्रति जिला राशि 3.360 लाख रू जिसमें से 3.06 लाख रू की राशि का व्यय सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी के पुरस्कार राशि हेतु तथा 30,000 रू का व्यय शील्ड, प्रमाणपत्र, भोजन, नाश्ता, टेन्ट, यात्रा एवं दैनिक भत्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु किया जाना है।

राज्य स्तर पर पुरस्कार समारोह हेतु प्रति जिला आवंटित राशि 3.0657 लाख रू जिसमें से 2.0 लाख रू की राशि का व्यय सर्वश्रेष्ठ एक एसएमसी एवं एक एसडीएमसी के पुरस्कार हेतु तथा 1.0657/– लाख रू का व्यय शील्ड, प्रमाणपत्र, भोजन, नाश्ता, टेन्ट, यात्रा एवं दैनिक भत्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु किया जाना है। राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु **जयपुर जिले को प्रभारी नियुक्त** किया जाता है तथा प्रति जिला आवंटित राशि 3.0657/– लाख रू अर्थात कुल राशि 101.170/– लाख रू जयपुर जिले को हस्तान्तरित किया जाना है।

क्रं.सं.	**स्तर**	**चयन प्रक्रिया**	**पुरस्कार**	**आयोजन तिथि**
1	ब्लॉक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी का चयन कर पुरस्कृत किया जायेगा।	• रू 11000 (चयनित प्रति एसएमसी एवं एसडीएमसी) • शील्ड • प्रमाणपत्र	26 जनवरी, 2023 को ब्लॉक स्तरीय समारोह में
2	जिला	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी में गठित समिति द्वारा प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ तीन एसएमसी एवं तीन एसडीएमसी का चयन कर पुरस्कृत किया जायेगा।	• रू 51000 (चयनित प्रति एसएमसी एवं एसडीएमसी) • शील्ड • प्रमाणपत्र	26 जनवरी, 2023 को जिला स्तरीय समारोह में
3	राज्य	संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ एक एसएमसी एवं एक एसडीएमसी का चयन कर पुरस्कृत किया जायेगा।	• रू 100000 (चयनित प्रति एसएमसी एवं एसडीएमसी) • शील्ड • प्रमाणपत्र	फरवरी, 2023 में राज्य स्तरीय समारोह

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।

2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमओई की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोटः– (1) गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
(2) यह गतिविधि STARS Project के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम बार आयोजित की जानी है।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / STARS Project / दिशा–निर्देश / 2022–23 / 7647 दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
10. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

Capacity Building And Strengthening of SMC/SDMCs

Physical and Financial Target of Districts 2021-22

Rs in Lakh

Sr. No.	District Name	Secondary & Senior Secondary School	Organize one day orientation workshop of members of SMC/SDMC Rs. 7970 Per School	Develop outlines of School development plan and review school performance and development works Rs. 5000 Per School
1	AJMER	525	41.843	26.250
2	ALWAR	817	65.115	40.850
3	BANSWARA	464	36.981	23.200
4	BARAN	309	24.627	15.450
5	BARMER	763	60.811	38.150
6	BHARATPUR	576	45.907	28.800
7	BHILWARA	578	46.067	28.900
8	BIKANER	447	35.626	22.350
9	BUNDI	281	22.396	14.050
10	CHITTAURGARH	411	32.757	20.550
11	CHURU	513	40.886	25.650
12	DAUSA	395	31.482	19.750
13	DHAULPUR	291	23.193	14.550
14	DUNGARPUR	413	32.916	20.650
15	GANGANAGAR	487	38.814	24.350
16	HANUMANGARH	364	29.011	18.200
17	JAIPUR	1023	81.533	51.150
18	JAISALMER	192	15.302	9.600
19	JALOR	396	31.561	19.800
20	JHALAWAR	347	27.656	17.350
21	JHUNJHUNU	543	43.277	27.150
22	JODHPUR	747	59.536	37.350
23	KARAULI	324	25.823	16.200
24	KOTA	336	26.779	16.800
25	NAGAUR	793	63.202	39.650
26	PALI	512	40.806	25.600
27	PRATAPGARH (RAJ.)	214	17.056	10.700
28	RAJSAMAND	301	23.990	15.050
29	SAWAI MADHOPUR	308	24.548	15.400
30	SIKAR	657	52.363	32.850
31	SIROHI	239	19.048	11.950
32	TONK	338	26.939	16.900
33	UDAIPUR	793	63.202	39.650
Total		**15697**	**1251.051**	**784.850**

Capacity Building And Strengthening of SMC/SDMCs

Physical and Financial Target of Districts 2022-23

Rs in Lakh

Sr. No.	District Name	Secondary & Senior Secondary School	Block	Exposure Visit at Block level (@ 1.5 Lakh of Each block)	Exposure Visit at District level (@ 4.0 Lakh of Each District)	Exposure Visit at State level	Total
1	AJMER	525	9	13.5	4.0	1.345	18.845
2	ALWAR	817	14	21.0	4.0	1.345	26.345
3	BANSWARA	464	11	16.5	4.0	1.345	21.845
4	BARAN	309	7	10.5	4.0	1.345	15.845
5	BARMER	763	17	25.5	4.0	1.345	30.845
6	BHARATPUR	576	10	15.0	4.0	1.345	20.345
7	BHILWARA	578	12	18.0	4.0	1.345	23.345
8	BIKANER	447	7	10.5	4.0	1.345	15.845
9	BUNDI	281	5	7.5	4.0	1.345	12.845
10	CHITTAURGARH	411	11	16.5	4.0	1.345	21.845
11	CHURU	513	7	10.5	4.0	1.345	15.845
12	DAUSA	395	6	9.0	4.0	1.345	14.345
13	DHAULPUR	291	5	7.5	4.0	1.345	12.845
14	DUNGARPUR	413	10	15.0	4.0	1.345	20.345
15	GANGANAGAR	487	9	13.5	4.0	1.345	18.845
16	HANUMANGARH	364	7	10.5	4.0	1.345	15.845
17	JAIPUR	1023	19	28.5	4.0	1.345	33.845
18	JAISALMER	192	3	4.5	4.0	1.345	9.845
19	JALOR	396	8	12.0	4.0	1.345	17.345
20	JHALAWAR	347	8	12.0	4.0	1.345	17.345
21	JHUNJHUNU	543	8	12.0	4.0	1.345	17.345
22	JODHPUR	747	17	25.5	4.0	1.345	30.845
23	KARAULI	324	6	9.0	4.0	1.345	14.345
24	KOTA	336	6	9.0	4.0	1.345	14.345
25	NAGAUR	793	14	21.0	4.0	1.345	26.345
26	PALI	512	10	15.0	4.0	1.345	20.345
27	PRATAPGARH (RAJ.)	214	5	7.5	4.0	1.345	12.845
28	RAJSAMAND	301	7	10.5	4.0	1.345	15.845
29	SAWAI MADHOPUR	308	6	9.0	4.0	1.345	14.345
30	SIKAR	657	9	13.5	4.0	1.345	18.845
31	SIROHI	239	5	7.5	4.0	1.345	12.845
32	TONK	338	6	9.0	4.0	1.345	14.345
33	UDAIPUR	793	17	25.5	4.0	1.345	30.845
Total		**15697**	**301**	**451.5**	**132.0**	**44.385**	**627.885**

Capacity Building And Strengthening of SMC/SDMCs

Physical and Financial Target of Districts 2022-23

Rs in Lakh

Sr. No.	District Name	Secondary & Senior Secondary School	Block	Award Ceremony to facilitate Best SMC/SDMC(@ 86000 Rs. of Each block) Block level	Award Ceremony to facilitate Best SMC/SDMC(@ 3.360 Lakh of Each District) District level	Award Ceremony to facilitate Best SMC/SDMC(@ 3.0657 Lakh of Each District) State Level	Total
1	AJMER	525	9	7.740	3.360	3.0658	14.166
2	ALWAR	817	14	12.040	3.360	3.0658	18.466
3	BANSWARA	464	11	9.460	3.360	3.0658	15.886
4	BARAN	309	7	6.020	3.360	3.0658	12.446
5	BARMER	763	17	14.620	3.360	3.0658	21.046
6	BHARATPUR	576	10	8.600	3.360	3.0658	15.026
7	BHILWARA	578	12	10.320	3.360	3.0658	16.746
8	BIKANER	447	7	6.020	3.360	3.0658	12.446
9	BUNDI	281	5	4.300	3.360	3.0658	10.726
10	CHITTAURGARH	411	11	9.460	3.360	3.0658	15.886
11	CHURU	513	7	6.020	3.360	3.0658	12.446
12	DAUSA	395	6	5.160	3.360	3.0658	11.586
13	DHAULPUR	291	5	4.300	3.360	3.0658	10.726
14	DUNGARPUR	413	10	8.600	3.360	3.0658	15.026
15	GANGANAGAR	487	9	7.740	3.360	3.0658	14.166
16	HANUMANGARH	364	7	6.020	3.360	3.0658	12.446
17	JAIPUR	1023	19	16.340	3.360	3.0658	22.766
18	JAISALMER	192	3	2.580	3.360	3.0658	9.006
19	JALOR	396	8	6.880	3.360	3.0657	13.306
20	JHALAWAR	347	8	6.880	3.360	3.0657	13.306
21	JHUNJHUNU	543	8	6.880	3.360	3.0657	13.306
22	JODHPUR	747	17	14.620	3.360	3.0657	21.046
23	KARAULI	324	6	5.160	3.360	3.0657	11.586
24	KOTA	336	6	5.160	3.360	3.0657	11.586
25	NAGAUR	793	14	12.040	3.360	3.0657	18.466
26	PALI	512	10	8.600	3.360	3.0657	15.026
27	PRATAPGARH (RAJ.)	214	5	4.300	3.360	3.0657	10.726
28	RAJSAMAND	301	7	6.020	3.360	3.0657	12.446
29	SAWAI MADHOPUR	308	6	5.160	3.360	3.0657	11.586
30	SIKAR	657	9	7.740	3.360	3.0657	14.166
31	SIROHI	239	5	4.300	3.360	3.0657	10.726
32	TONK	338	6	5.160	3.360	3.0657	11.586
33	UDAIPUR	793	17	14.620	3.360	3.0657	21.046
Total		**15697**	**301**	**258.860**	**110.880**	**101.170**	**470.910**